

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक ५७५ /२-६, दिनांक, गोरखपुर, अगस्त १५ /२०२४

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

- विषय- जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एच०एच०-७९ के किमी० १४ से १५ के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या- ९०८, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित ०.०७५०२८ संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०८ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
- संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-८बी/यू०पी०/०६/१२/२०२३/एफ०सी०/९० दिनांक ०१.०८.२०२४ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक ३३७/११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/१४५६६१/२०२१, दिनांक ०५.०८.२०२४ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-३८३/२-६, दिनांक १२.०८.२०२४

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक-३८३/२-६, दिनांक १२.०८.२०२४ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- ५७५ अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

